राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
संस्कृति मंत्रालय
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

कार्यवृत्त का शुद्धिपत्र

23 मई, 2023 को आयोजित 392वीं बैठक का अनुपूरक कार्यवृत्त

(श्री श्रीराम शेखर, डी नं. 4/363ए, प्लाट नं. 12 और 13, श्री सरवण बावा नगर, पहली स्ट्रीट, पुराना पेरुंगालाथूर, चैन्नई-60063)

इस मामले की 278वीं बैठक में सिफारिश की गई थी। तथापि सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु द्वारा सूचित किया गया था कि सिफारिश उनके कार्यालय में प्राप्त नहीं हुई है। अत: मामले की प्रति सक्षम प्राधिकारी, तमिलनाडु को पुन: भेज दी गई थी।

2. मामले की जांच की गई थी और आवेदक द्वारा प्रस्तुत फार्म-I, फार्म-II और स्थल योजनाओं तथा पिछले कार्यवृत्त का मिलान करने पर निम्नलिखित विसंगतियां पाई गई हैं:-

क्षेत्र विवरण	**फार्म-I**	**फार्म-II**	**बैठक का कार्यवृत्त (278 में)**	**स्थल योजनाएं**
मंजिलों की संख्या	स्टिल्ट + 3 मंजिल	हैडरूम और लिफ्ट मशीन सहित स्टिल्ट + 3 मंजिल	लिफ्ट और पानी की टैंकी सहित स्टिल्ट + 2 मंजिल	नक्शा ठीक से पठनीय नहीं है।
तलक्षेत्र (मंजिल-वार)	स्टिल्ट=एफएफ =एसएफ=टीएफ= 100.56 वर्गमीटर	स्टिल्ट तलक्षेत्र = 100.56, प्लिंथ एफएफ=एसएफ (वाणिज्यिक)= टीएफ (आवासीय)= 100.56 वर्गमीटर हैडरूम और लिफ्ट क्षेत्र =16.27 वर्गमीटर चारदीवारी = 1.52	**एफएसआई क्षेत्र** एफएफ=एसएफ= 114.03 वर्गमीटर **गैर-एफएसआई क्षेत्र** **हैडरूम और लिफ्ट क्षेत्र = 16.36 वर्गमीटर** स्टिल्ट तल = 100.65 चारदीवारी = 1.52	
ऊंचाई (ममटी, पैरापेट, जल भंडारण टैंक सहित)	**12.82 मीटर**	**16.93 मीटर**	**13.91 मीटर**	**13.00 मीटर**

3. उपरोक्त अस्पष्टता को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण ने मामले को **अस्वीकार** करने का निर्णय लिया है। यदि आवेदक इच्छुक हो तो पुन: आवेदन कर सकता है।

राष्ट्रीय संस्मारक प्राधिकरण
संस्कृति मंत्रालय
24, तिलक मार्ग, नई दिल्ली

शुद्धिपत्र

23 मई, 2023 को आयोजित 392वीं बैठक का अनुपूरक कार्यवृत्त

नया मामला संख्या 08 के तहत 23.05.2023 को आयोजित एनओसी की 392वीं बैठक में आंशिक संशोधन करते हुए अन्तिम कार्यवृत्त निम्नानुसार पढ़ा जाए:

(कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग प्रभाग, करवाड़ मंडल, करवाड़, उत्तर कन्नड-581301, कर्नाटक)

आवेदन पर विचार करने के बाद आवेदक को संशोधित योजना ठीक ढ़ंग से पुन: प्रस्तुत करने के लिए कहते हुए इस मामले को **वापस** भेजने का निर्णय लिया गया क्योंकि फार्म-II और स्थल योजना में उल्लिखित ऊंचाई बेमेल है।